[2025:आरजे-जेपी:823]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

पल्लव शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री बृज मोहन शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 6-डी/ 311, चित्रकूट, जयपुर - 302021

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक
2. बसंत दयानी पुत्र श्री प्रभु दास दयानी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी दादा बाड़ी, कोटा शहर, कोटा (राजस्थान)
3. प्रभु दास पुत्र चोथाराम, निवासी दादा बाड़ी, कोटा शहर, कोटा (राजस्थान)
4. सुरेंद्र पाल सिंह साहनी पुत्र स्व. श्री राजेंद्र सिंह सैनी, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी 'राजेंद्र विला' रबर फैक्ट्री रोड, भीमगंज, मंडी, कोटा जंक्शन, कोटा (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से	:	श्री सुनील समदरिया
उत्तरदाता (ओं) की ओर से	:	श्री विवेक चौधरी, पीपी

(31/05/2025 को सुबह 09:21:04 बजे डाउनलोड किया गया)

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

07/01/2025

रिपोर्टयोग्य

1. इस याचिका को दायर करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना की गई है:

> "उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वह वर्तमान याचिका को अनुमति प्रदान करे तथा एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 548/2024 (सुरेन्द्र पाल सिंह साहनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 8.2.2024 के आदेश के पैरा 9, 10 और 11 में याचिकाकर्ता अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दे।
>
> याचिका की लागत का भुगतान करें तथा कोई अन्य उचित आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित समझे।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पिछले 19 वर्षों से अधिक समय से इस न्यायालय में वकालत कर रहे एक अधिवक्ता हैं और इस अवधि के दौरान उनका पेशेवर करियर बेदाग रहा और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष सुरेंद्र पाल सिंह साहनी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के

मामले में बहस के समय एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4870/2024 मैं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2024 को आदेश पारित करते समय पैरा संख्या 9, 10 और 11 में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां पारित की गई थीं। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणी पारित करने से पहले, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जो उनके भविष्य के पेशेवर करियर को प्रभावित करेगा। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक पेशेवर और इस न्यायालय के अधिकारी होने के नाते कानून की महिमा के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं । अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 11.12.2024 को एक अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वह अपने दिल की गहराई से दोहराते हैं कि वह इस न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और खेद व्यक्त करते हैं, यदि यह माननीय न्यायालय महसूस करता है और मानता है कि याचिकाकर्ता का कथित आचरण न्यायसंगत नहीं था।

3. वकील ने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी **2021 (9) एससीसी 92** में रिपोर्ट किए गए **नीरज गर्ग बनाम सरिता रानी और अन्य** के मामले में और **दुष्यंत मैनाली बनाम दीवान सिंह बोरा और अन्य [एसएलपी (सी) संख्या 15191/2022]** के मामले में माना है कि किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी करने से पहले, यहां तक कि एक वकील के खिलाफ भी, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना

आवश्यक है, क्योंकि किसी को भी अनसुना नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के पेशेवर करियर के हित में पैरा संख्या 9, 10 और 11 में उनके खिलाफ दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने **एआईआर 1964 एससी 703** में रिपोर्ट किए गए **यूपी राज्य बनाम मोहम्मद नईम** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा रखा है।

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया, लेकिन वह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं।

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. अभिलेखों के अवलोकन और दिनांक 08.02.2024 के आदेश से पता चलता है कि उक्त याचिका पर दलीलें सुनते समय, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने महसूस किया कि याचिकाकर्ता का आचरण उचित नहीं था और इसीलिए समन्वय पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय के साथ दुर्व्यवहार किया और अनुशासनहीन भाषा/शब्दों का प्रयोग किया, न्यायालय का अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा और चिड़चिड़ापन व अभद्र व्यवहार दिखाते हुए न्यायालय से चला गया। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर और मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू

को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के ऐसे कथित आचरण को अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

7. अधिवक्ता सर्वप्रथम न्यायालय के अधिकारी होते हैं और उसके बाद वे अपने मुवक्किलों के प्रवक्ता हैं। न्यायालय के अधिकारी होने के नाते, एक अधिवक्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह न्यायालय या न्यायाधीश के प्रति अभद्र व्यवहार करे या उनके विरुद्ध असंयमित भाषा का प्रयोग करे। न्यायालय के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय केवल सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही कार्य कर सकते हैं।

8. कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ नैतिक मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय के अधिकारी होने के नाते, अधिवक्ताओं को न्यायालय में सदैव मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। एक अधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, खासकर जब न्यायाधीश कोई निर्णय दे रहा हो या कोई आदेश पारित कर रहा हो। उसे न्यायालय के आदेश पर कोई मुँह नहीं बनाना चाहिए, न ही असहमति या कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखना गंभीरता और व्यावसायिकता का प्रतीक है, जो न्यायालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक अधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय को अपनी तार्किक दलीलों और कारणों से आश्वस्त करे, न कि उसकी भावनाओं को भड़काकर।

9. न्याय प्रशासन में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पेशे में ही उच्च नैतिक मानकों की रक्षा आवश्यक है। न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में, एक वकील का सर्वोच्च कर्तव्य न्यायालय, अपने पेशे के मानकों और जनता के प्रति है। चूँकि एक वकील का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करना है, इसलिए बार के सदस्य संदिग्ध व्यवहार नहीं कर सकते या मुकदमेबाजी से लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर सकते।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओ.पी. शर्मा बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, 2011 (6) एससीसी 86** के मामले में यह माना है कि संप्रभु एवं लोकतांत्रिक भारत के आरंभ में वकीलों की भूमिका और स्थिति, राष्ट्र के प्रशासन को विधि के शासन द्वारा संचालित करने के निर्णय में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। देश के अभिजात वर्ग में उन्हें बुद्धिजीवी और दलित वर्ग में सामाजिक कार्यकर्ता माना जाता था। संविधान निर्माण में वकीलों की भूमिका किसी विशेष उल्लेख की अपेक्षा नहीं रखती है। न्याय प्रशासन में वकील न्यायालय के अधिकारी होते हैं। न्यायपीठ और बार, दोनों को ही अनुचित परिस्थितियों या तुच्छ मुद्दों से बचना चाहिए जो न्याय के कार्य में बाधा डालते हैं और किसी के हित में नहीं हैं।

11. **चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश 1998 (4) एससीसी** 577 के मामले में रिपोर्ट किया गया, पैरा 16 में यह माना गया है कि:

> "16. वास्तव में, किसी भी वकील या वादी को अपने अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय को धमकाने या पीठासीन अधिकारी की छवि खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि ऐसी गतिविधियों की अनुमति दी गई तो न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएँगे और परिणामस्वरूप न्याय प्रशासन प्रभावित होगा और कानून के शासन को धक्का लगेगा। न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भय या पक्षपात के मामलों का निर्णय करने के लिए बाध्य हैं। वकीलों और वादियों को अपने मनचाहे आदेश 'प्राप्त' करने के उद्देश्य से न्यायाधीशों को 'आतंकित' या 'डराने' की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बुनियादी और मौलिक बात है और न्याय प्रशासन की कोई भी सभ्य प्रणाली इसकी अनुमति नहीं दे सकती।"

12. विधि में बार-बेंच संबंध अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। न्याय प्रशासन में बार (अधिवक्ता) और बेंच (न्यायाधीश) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीश, अधिवक्ता की सहायता से विधिवत प्रशासन करते हैं। अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी होते हैं। उनसे न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय के अधिकारी होने के नाते, अधिवक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय के प्रति सम्मानजनक रवैया बनाए रखें, यह ध्यान में रखते हुए कि न्यायिक पद की गरिमा समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। बेंच और बार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान आवश्यक है।

13. बेंच-बार संबंध के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय **पी.डी. गुप्ता बनाम राम मूर्ति एवं अन्य एआईआर 1998 एससी 283** में स्पष्ट रूप से इस प्रकार दी गई है:

> "14.....एक वकील का कर्तव्य है कि वह न केवल अपने मुवक्किल के प्रति, बल्कि अदालत के साथ-साथ मामले के संचालन में विरोधी पक्ष के प्रति भी निष्पक्ष रहे। न्याय प्रशासन एक धारा है जिसे शुद्ध और स्वच्छ रखना होता है। इसे अदूषित रखना होता है। न्याय प्रशासन केवल न्यायपीठ से संबंधित नहीं है। यह बार से भी संबंधित है। बार न्यायाधीशों की भर्ती का मुख्य आधार है। किसी को भी वकील के आचरण पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए....."

14. न्यायाधीश और वकील एक-दूसरे के पूरक हैं। वकील का प्राथमिक कर्तव्य अदालत को मामले के कानून और तथ्यों से अवगत कराना और सही निष्कर्ष पर पहुँचकर न्याय करने में अदालत की सहायता करना है। न्याय के सुशासन के लिए वकील द्वारा अच्छी और सशक्त पैरवी आवश्यक है।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि बहस के दौरान न्यायालय कक्ष में अनुचित रूप से तीखी बहस हुई, इसलिए दिनांक 08.02.2024 के आदेश में याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियाँ पारित की गई हैं।

16. दिनांक 11.12.2024 को एक अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत करके, याचिकाकर्ता ने अपने कथित आचरण के लिए खेद व्यक्त किया है और यह बात उसने पैरा 4 में कही है, जो इस प्रकार है:

> "4. यह कि, अभिसाक्षी ने उपर्युक्त याचिका के पैरा 3 (iv) में अपना पक्ष स्पष्ट किया है और यह भी बताया है कि अदालत में क्या हुआ और अदालत और अभिसाक्षी के बीच मौखिक आदान-प्रदान को किस प्रकार अनुशासनहीनता/दुर्व्यवहार माना गया। अभिसाक्षी अपने हृदय की गहराई से दोहराता है कि वह इस माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करता है और यदि माननीय न्यायालय को लगता है और विश्वास है कि अभिसाक्षी का कथित आचरण उचित नहीं था, तो वह खेद व्यक्त करता है।"

17. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों के अनुसार, उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना दर्ज की गई हैं, इसलिए, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीरज गर्ग (सुप्रा) मामले में इसी तरह की स्थिति पर विचार किया है, जहाँ याचिकाकर्ता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लगभग 17 वर्षों से वकालत कर रहा था और उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही उच्च न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध कुछ टिप्पणियाँ पारित कर दी गईं। उक्त वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या

4555/2021 दायर करके उक्त टिप्पणियों का विरोध किया और उन्हें हटा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 1 और 15 से 18 में निम्नलिखित अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:

> "1. अपीलकर्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और लगभग 17 वर्षों से बार के सदस्य हैं। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने तक सीमित है, जो उन्होंने चार मामलों में निर्णय देते समय की थीं, जिनमें अपीलकर्ता एक प्रतियोगी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश और कार्यवाहियाँ निम्नलिखित हैं जिनसे हम संबंधित हैं।
>
> xxx xxx xxx xxx xxx
>
> 15. न्याय प्रशासन के क्षेत्र में यह मौलिक महत्व का है कि न्यायाधीशों को स्वतंत्र और निर्भय होकर तथा किसी के हस्तक्षेप के बिना अपने कार्य करने की अनुमति दी जाए, लेकिन न्यायाधीशों के लिए संयम बरतना और वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणी से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसका न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
>
> 16. उच्च न्यायालय के निर्णयों में दर्ज आपत्तिजनक टिप्पणियों का अवलोकन करने के बाद, हमारा मानना है कि इनसे बचा जा सकता था क्योंकि विवादों के निपटारे के लिए ये अनावश्यक थीं। इसके अलावा, ये विद्वान न्यायाधीश की व्यक्तिगत धारणा पर आधारित प्रतीत होती हैं। यह भी स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीश

ने प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज करने से पहले अपीलकर्ता को अपना स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया। इस प्रकार दर्ज की गई टिप्पणियों ने अपीलकर्ता की पेशेवर निष्ठा पर आक्षेप लगाया है। वकील को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी ऐसी निंदा करना, ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। ऐसी स्थितियों में अपेक्षित संयम और संयम की अपेक्षित मात्रा भी आपत्तिजनक टिप्पणियों में अनुपस्थित पाई गई है।

17. अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज की गई टिप्पणियों का भाव न केवल उसके पेशेवर सहयोगियों के बीच उसकी छवि को धूमिल करेगा, बल्कि उसके पेशेवर करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यदि अदालती निर्णयों में इन टिप्पणियों को हटाया नहीं जाता है, तो अपीलकर्ता को जीवन भर यह कष्ट सहना पड़ेगा। उसे इस प्रकार कष्ट सहने देना, हमारे विचार से, पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण होगा।

18. पूर्वोक्त के मद्देनजर, हमारा यह सुविचारित मत है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज की गई आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उस रूप में दर्ज नहीं की जानी चाहिए थीं जिस रूप में उन्हें दर्ज किया गया। अपीलकर्ता, जिसके पेशेवर आचरण पर प्रश्नचिह्न लगाया गया था, को अपने आचरण को स्पष्ट करने या अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। ये टिप्पणियाँ न्यायालय के निर्णय के लिए भी अनावश्यक थीं। तदनुसार, यह माना जाता है कि अपीलकर्ता की प्रतिष्ठा या बार के सदस्य के रूप में उसके कार्य को भविष्य में किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लिया जाना चाहिए। अतः हम इस निर्णय के अनुच्छेद 4, 5, 6 और 7 में उद्धृत टिप्पणियों को विलोपित करने का आदेश देते

हैं। तदनुसार, इस आदेश के साथ अपीलों का निपटारा किया जाता है।"

19. **नीरज गर्ग** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, हाल ही में **दुष्यंत मैनाली** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसी दृष्टिकोण को दोहराया गया और इसे पैरा 2 से 6 में देखा और माना गया है जो इस प्रकार है:

"2. यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देती है।

3. अपीलकर्ता पेशे से वकील है। वह न तो इस मामले में किसी पक्ष की ओर से उपस्थित हुआ था और न ही वह अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ा था।

4. इस न्यायालय ने, विभिन्न अवसरों पर उच्च न्यायालय के एक ही विद्वान न्यायाधीश के मामले में, जिसमें नीरज गर्ग बनाम सरिता रानी और अन्य के मामले में रिपोर्ट किए गए निर्णय शामिल हैं, जो 2021(9) एससीसी 92 में रिपोर्ट किया गया है और हाल ही में सी.ए. संख्या 110043-11044/2024 में "सिद्धार्थ सिंह बनाम सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और अन्य" शीर्षक से, दिनांक 24.09.2024 के आदेश के तहत, अधिवक्ताओं के खिलाफ टिप्पणी करने में उच्च न्यायालय के उक्त विद्वान न्यायाधीश की प्रवृत्ति को अस्वीकृति के साथ देखा है।

5. यह दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से बंधे हैं। किसी को भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

6. हमारा सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध टिप्पणी करने का उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अव्यावहारिक है।"

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद नईम** (सुप्रा) के मामले में पैरा 10 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"10. ....यदि न्याय प्रशासन में कोई एक सिद्धांत सर्वोपरि है, तो वह यह है: न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की उचित स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखी जानी चाहिए और उन्हें अपने कार्य स्वतंत्र और निर्भीक होकर और किसी के भी, यहाँ तक कि इस न्यायालय के भी, अनुचित हस्तक्षेप के बिना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट अपनी राय व्यक्त करते समय न्याय, निष्पक्षता और संयम के विचारों से निर्देशित हों। ऐसा अक्सर होता है कि व्यापक सामान्यीकरण उस उद्देश्य को ही विफल कर देते हैं जिसके लिए वे किए जाते हैं। न्यायिक रूप से यह माना गया है कि ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में, जिनका आचरण न्यायालयों द्वारा तय किए जाने वाले मामलों में विचाराधीन है, इस पर विचार करना प्रासंगिक है।

(क) क्या जिस पक्षकार का आचरण प्रश्नगत है, वह न्यायालय के समक्ष है या उसे अपना स्पष्टीकरण देने या अपना बचाव करने का अवसर प्राप्त है;

(ख) क्या उस आचरण से संबंधित अभिलेखों में साक्ष्य उपलब्ध हैं जो उक्त टिप्पणियों को उचित ठहराते हैं; और

(ग) क्या मामले के निर्णय के लिए, उसके अभिन्न अंग के रूप में, उस आचरण पर टिप्पणी करना आवश्यक है। यह भी माना गया है कि न्यायिक निर्णय न्यायिक प्रकृति के होने चाहिए, और सामान्यतः संयम, संयम और संयम से विचलित नहीं होने चाहिए।"

21. **नीरज गर्ग** (सुप्रा), **दुष्यंत मैनाली** (सुप्रा) और **मोहम्मद नईम** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता द्वारा अपने अतिरिक्त शपथपत्र में दिए गए कथनों को देखते हुए कि वह अपने दिल की गहराई से दोहराते हैं कि वह इस न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और खेद व्यक्त करते हैं, यदि यह न्यायालय महसूस करता है और मानता है कि उनका कथित आचरण न्यायसंगत नहीं था, तो तत्काल याचिका को अनुमति दी जाती है।

22. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 08.02.2024 को अदालती कार्यवाही के दौरान अपने आचरण के संबंध में महसूस किए गए खेद को देखते हुए, जैसा कि उनके दिनांक 11.12.2024 के अतिरिक्त शपथपत्र के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है,

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 548/2024 में दिनांक 08.02.2024 के आदेश के पैरा 9, 10 और 11 में उनके खिलाफ पारित प्रतिकूल टिप्पणियां हटा दी गई हैं।

23. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 548/2024 की फाइल में डाल दी जाए और जब भी कोई व्यक्ति दिनांक 08.02.2024 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन करे, तो दिनांक 07.01.2025 के इस आदेश की प्रति उसे उपलब्ध करा दी जाए।

24. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अनूप कुमार ढांड), जे

कुड/95

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate